रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228559
CG-DL-E-29072021-228559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
No. 416] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

(आय-कर)

सा.का.नि. 514(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इक्कीसवा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 129 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"130. कतिपय नियमों और प्ररूप का लोप तथा व्यावृत्तिया — (1) नियम 5क, नियम 5कख, नियम 6कखख, नियम 12ख, नियम 12खक, नियम 16घ, नियम 16घघ, नियम 16ङ, नियम 16च, नियम 18ख, नियम 18खख, नियम 18खखक, नियम 18घघ, नियम 18घघक, नियम 20कख, नियम 29कक, नियम 29घ, नियम 37, नियम 37ङ, नियम 37च, नियम 44क, नियम 48, नियम 123 और नियम 124 का लोप किया जाएगा।

(2) परिशिष्ट 2 के प्ररूप आईटीआर-8, 2ख, 2ग, 2ङ, 3कक, 3ककक, 3खक, 4, 5, 5क, 10कक, 10ग, 10गग, 10गगक, 10गगकक, 10गगकख, 10गगकखक, 10गगकग, 10गगकघ, 10गगकङ, 10गगकच, 10गगकछ, 10गगकज, 10गगकझ,

10गगखक, 10गगखख, 10गगखखक, 10गगखग, 10गगखघ, 10घख, 10घग, 10छ, 10जक, 11, 11क, 12, 12क, 15झ, 15ञ, 16कक, 22, 24, 26, 27ङ, 30, 34क, 34ख, 34खक, 37, 37ङङ, 37च, 37छ, 37ज, 37झ, 54, 55, 56क, 56कक, 56ख, 56खक, 56ग, 56गक, 56ङ, 56च, 56चच, 56छ, 56ज, 58क, 58ख, 63, 63क और प्ररूप 63कक का लोप किया जाएगा ।

(3) ऐसे लोप में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के प्रारंभ की तारीख से ही—

(i) अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के रूप में किसी आय-कर प्राधिकारी, किसी अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई कार्यवाही जारी रखी जाएगी या उनका निपटारा किया जाएगा, मानो उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित नियमों और प्ररूपों का लोप नहीं किया गया है ;

(ii) उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित नियमों और प्ररूपों के अधीन किया गया कोई करार, की गई नियुक्ति, दिया गया अनुमोदन, प्रदान की गई मान्यता, जारी किया गया निदेश, अनुदेश, अधिसूचना या आदेश को प्रवृत्त बना हुआ समझा जाएगा, मानो उपनियम (1) और उपनियम (2) में उल्लिखित नियमों और प्ररूपों का लोप नहीं किया गया है ।

131. प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश, इत्यादि को इलेक्ट्रानिक रूप में देना—(1) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि परिशिष्ट 2 में विहित कोई भी प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, इलेक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा—

(i) यदि आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के अधीन दिया जाना अपेक्षित है तो आय-कर हस्ताक्षर के अधीन ; या

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले मामलों की दशा में, इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से ।

(2) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली)—

(i) बोर्ड के अनुमोदन से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसे इलेक्ट्रानिक रूप से दिया जाना है ;

(ii) रूप विधान में उपांतरण के साथ डाटा संरचना, मानक और देने की प्रक्रिया तथा ऐसे प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश का सत्यापन अधिकथित करेगा, यदि इलेक्ट्रानिक रूप से देने के लिए इसके अनुरूप बनाना आवश्यक हो ; और

(iii) उक्त प्ररूप, विवरणी, विवरण, रिपोर्ट, आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने के लिए दायी होगा ।"

[अधिसूचना सं. 83/2021/फा. सं. 370142/30/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 509 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

(INCOME-TAX)

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (21st Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of publication of notification in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 129, the following rules shall be inserted, namely:-

"**130. Omission of certain rules and Forms and savings.-**(1) Rules 5A, 5AB, 6ABB, 12B, 12BA, 16D, 16DD, 16E, 16F, 18B, 18BB, 18BBA, 18DD, 18DDA, 20AB, 29AA, 29D, 37, 37E, 37F, 44A, 48, 123 and rule 124 shall be omitted.

(2) In Appendix II, Forms ITR-8, 2B, 2C, 2E, 3AA, 3AAA, 3BA, 4, 5, 5A, 10AA, 10C, 10CC, 10CCA, 10CCAA, 10CCAB, 10CCABA, 10CCAC, 10CCAD, 10CCAE, 10CCAF, 10CCAG, 10CCAH, 10CCAI, 10CCBA, 10CCBB, 10CCBBA, 10CCBC, 10CCBD, 10DB, 10DC, 10G, 10HA, 11, 11A, 12, 12A, 15I, 15J, 16AA, 22, 24, 26, 27E, 30, 34A, 34B, 34BA, 37, 37EE, 37F, 37G, 37H, 37-I, 54, 55, 56A, 56AA, 56B, 56BA, 56C, 56CA, 56E, 56F, 56FF, 56G, 56H, 58A, 58B, 63, 63A and Form 63AA shall be omitted.

(3) Notwithstanding such omission, on and from the date of commencement of this rule–

(i) any proceeding pending before any income-tax authority, any Appellate Tribunal or any court, by way of appeal, reference or revision, shall be continued and disposed of as if rules and forms mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2) have not been omitted;

(ii) any agreement entered into, appointment made, approval given, recognition granted, direction, instruction, notification or order issued under the rules and Forms mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be deemed to continue in force as if rules and forms mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2) have not been omitted.

131. Electronic furnishing of Forms, Returns, Statements, Reports, orders etc.- (1) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, may with the approval of the Board specify that any of the Forms, returns, statements, reports, orders, by whatever name called, prescribed in Appendix II, shall be furnished electronically—

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall-

(i) with the approval of the Board specify the Forms, returns, statements, reports, orders, referred to in sub-rule (1), which are to be furnished electronically;

(ii) lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of such Forms, returns, statements, reports, orders, including modification in format, if required, to make it compatible for furnishing electronically; and

(iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said Forms, returns, statements, reports, orders.".

[Notification No. 83/2021/F. No. 370142/30/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 509(E) dated 27th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.29 20:11:06 +05'30'